प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' बाईस '

प्रश्न सं. [क्र. 1192]

[8/12/2016] परिशिष्ट-अ

(15)

सामाजिक न्याय संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था.5 / 2009 / 1012

प्रति,

भोपाल, दिनांक 25-5-09

कलेक्टर,
जिला भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, सागर,
रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, बैतूल, ,खरगौन,
मध्यप्रदेश।

विषयः— निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित संस्थाओं के लिये नवीन पदों के सृजन के फलस्वरूप मानदेय एवं कलेक्टर दर पर स्वीकृत पदों की पूर्ति।

संदर्भः— म0प्र0शासन, सामाजिक न्याय विभाग का ज्ञापन कमांक
1. एफ–3–56 / 2008 / 26–2, दिनांक 8 अगस्त 2008
2. एफ–3–57 / 2008 / 26–2, दिनांक 8 अगस्त 2008
3. एफ–3–58 / 2008 / 26–2, दिनांक 8 अगस्त 2008

—0—

उपरोक्त विषय में म0प्र0शासन, सामाजिक न्याय विभाग के संदर्भित ज्ञापनों का अवलोकन कीजिए, जिसके द्वारा आपके जिला अन्तर्गत निःशक्त छात्र–छात्राओं के लिए संचालित संस्थाओं में व्याख्याता एवं शिक्षक के पद स्वीकृत किये गये हैं ।

2— नियमित वेतनमान के स्वीकृत इन पदों की पूर्ति की कार्यवाही में समय लगना संभावित है, अतः उक्त संस्थाओं में निःशक्त छात्र/छात्राओं का शिक्षण कार्य प्रभावित न हो इस दृष्टि से आपके जिलान्तर्गत नियमित वेतनमान के स्वीकृत व्याख्याता एवं शिक्षक के स्वीकृत पदों के विरूद्ध पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतनमान पर विभागीय राजपत्रित/कार्यपालिक भरती नियमों में उक्त पदों हेतु अवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताधारी व्यक्तियों की सेवाएं गेस्ट फेकल्टि (अतिथि) के रूप में ली जाकर शिक्षण कार्य का सुचारू संचालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावे .भरती नियमों की प्रति संलग्न है।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

23.5.09

संयुक्त संचालक (प्रशासन)
वास्ते आयुक्त,
सामाजिक न्याय मध्यप्रदेश

Estt-5 (123)

4 150×80
(200)

भोपाल, दिनांक 29-5-09

पृ.क्रमांक / स्था.5 / 2009 / 1013

प्रतिलिपि :—

1/ प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग भोपाल को सूचनार्थ।

2/ संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय, भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, सागर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, बैतूल, ,खरगौन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। विद्यालयों के संचालन हेतु उक्तानुसार पदों पर गेस्ट फेकल्टि (अतिथि) की सेवाएं तत्काल लिये जाने की कार्यवाही की जावे।

संयुक्त संचालक (प्रशासन)
वास्ते आयुक्त,
सामाजिक न्याय मध्यप्रदेश